कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय
जिला– जशपुर छ0ग0

कमांक / 1340 / भंडार / 2021 जशपुर, दिनांक 14/7/2021

–: संशोधित निविदा की शर्ते :–

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला जशपुर छ.ग. द्वारा वर्ष 2021–22 के लिये औषधि,प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री के लिए निर्माता फर्म अथवा अधिकृत विकेताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की नियम एवं शर्ते निम्नानुसार होगी। निविदा बंद लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में **दिनांक 07.08.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिए। समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदाओं को मान्य नहीं किया जावेगा। निविदा की नियम व शर्ते तथा औषधि, प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री की सूची कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) 1000 रू (एक हजार रू मात्र) गैर वापसी राशि जमा कर प्राप्त की जा सकेगी।

- निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– 02.08.2021 सायं 05:00 बजे तक।
- निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि :– 07.08.2021 प्रातः 11:00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि :– 07.08.2021 दोपहर 12:00 बजे तक।

1. समस्त सील बंद निविदाएं कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नाम संबंधित करते हुए कम्पनी या अधिकृत विकेता द्वारा स्वयं के लेटर पैड पर प्रस्तुत की जावें तथा लिफाफे के उपर औषधि ,प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री हेतु निविदा अवश्य लिखा जावें।
2. अद्योहस्ताक्षरकर्ता के अधीन संचालित जिला चिकित्सालय जशपुर छ0ग0 में लगने वाले औषधि, ,प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री का दर जो आप निर्माण करते है अथवा अधिकृत विकेता है, संलग्न सूची अनुसार ही अंकित करें। सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. जो निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होगी स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. औषधि हेतु अमानत राशि रू 30,000.00 (तीस हजार रू मात्र) प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री हेतु अमानत राशि 25,000.00 (पचीस हजार रू मात्र) नियत है।
5. निविदाकार सुरक्षा निधि का डिमांड ड्राफ्ट/टी.डी.आर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंको का जमा करना होगा। किसी भी स्थिति में नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। असफल निविदादाता की अमानत राशि वापस कर दी जावेगी एवं सफल निविदादाता की राशि एक वर्ष तक जमा किया जावेगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
6. निविदा के साथ सेल टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, अभिप्रमाणित मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ,जीवित लाइसेंस , टीन नम्बर ,जीएसटी नम्बर प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं विगत 03 वर्ष का बैंक ट्रांजेक्शन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी ,इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
7. निविदा संबंधी दो लिफाफे में होगें। एक लिफाफा में सूची एवं दूसरे लिफाफा में अन्य दस्तावेज अलग से एक लिफाफे में रहेगी ।
8. वाणिज्यकर जीएसटी शासन के समय–समय पर किये गये संसोधन अनुसार देय होगा। अधिक का वैट टैक्स देय नहीं होगा। अन्य टैक्स के लिए नियमावली के साथ स्पष्ट करना आवश्यक है तथा आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा दर में टैक्स सम्मिलित है या नहीं का स्पष्ट उल्लेख करें।

Scanned with CamScanner

9. सूची में वर्णित औषधि, प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री कार्यालय भंडार में पहुचा कर देना होगा। जिस पर किसी अन्य प्रकार का गाड़ी भाड़ा/लोडिंग-अनलोडिंग एवं हमाली (कुली) व्यय नहीं दिया जायेगा। संबंधित खर्च फर्म द्वारा वहन किया जावेगा। व्यवस्थित पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टिंग के दौरान टुट-फुट ,लिकेज तथा संबंधित सामान की मात्रा में कमी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायकर्ता को होगा।
10. कय आदेश प्रसारित होने के 30 दिवस के अंदर निविदादाता को संबंधित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगा। अन्यथा कय आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। साथ ही फर्म की सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. प्रदायकर्ता का व्यपारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से प्रदाय करेगा स्पष्ट उल्लेख करना है।
12. चिकित्सकीय उपकरणों को कंपनी के आथोराइज्ड इंजीनियर के द्वारा स्थापना कराया जाना होगा। स्थापना उपरांत स्थापना रिपोर्ट प्रदाय करना होगा।
13. चिकित्सकीय उपकरणों में कम से कम 01 वर्ष का वारंटी/गारंटी दिया जाना अनिवार्य होगा।
14. स्थापना रिपोर्ट में वारंटी/गारंटी का उल्लेख किया जावे।
15. छ0ग0शासन् की कय निति अनुसार प्रदाय की जाने वाली औषधि के नमुने की जांच पर आने वाला व्यय प्रदायकर्ता को वहन करना होगा।
16. आई.एस.आई. तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण पत्र ईकाईओं का प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जावेगी।
17. प्राप्त निविदाओं पर निर्णय लेने का अधिकार कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला जशपुर छ0ग0 द्वारा गठित कय समिति का होगा।
18. प्रदायकर्ता को प्रत्येक बैच नम्बर के औषधि ,प्रयोगशाला रसायन, उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री की क्वालिटी कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रक) , रसायनिक परीक्षण रिपोर्ट बिल के साथ संलग्न करना होगा ।
19. औषधि ,प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री की गुणवत्ता जांच में संबंधित सामग्री निम्न स्तर के पाये जाने की दशा में अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी, साथ ही निम्न स्तर की सामग्री को स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा। इसके लिये किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
20. प्रत्येक प्रदायित औषधि, प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री की गुणवत्ता / पैकिंग, स्टोरेज, अवसान तिथी अंकित होनी चाहिए एवं अवसान की तिथी लम्बी होनी चाहिए।
21. निविदा निर्धारित मुल फार्म पर भर दी जायेगी। छायाप्रति आदि मान्य नहीं होगा।
22. निविदा की शर्तो पर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा फार्म संलग्न करें ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
23. समयाभाव एवं आवश्यकता अनुसार खुली निविदा में न्युनतम दर पर किसी भी फर्म से औषधि/ प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री कय की जा सकेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
24. लिफाफे के उपर निविदाकर्ता द्वारा फर्म का नाम तथा निविदा प्रपत्र एवं उल्लेखित नाम ,पता रहें, लिफाफे में बंद करने के स्थान पर हस्ताक्षर किये हों।
25. निविदा साफ व स्वच्छ हों व कम्प्युटिकृत होनी चाहिए। कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी । दर **अंको में** होना अनिवार्य होगा।
26. निविदाकार को वाणिज्यकर विभाग का जीवित पंजीयन की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
27. एल-1 फर्मो के द्वारा रू. 50.00 (पचास रू) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध होने के उपरांत ही कय आदेश जारी किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

28. बिना कारण बताएं निविदा निरस्त करने का अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

29. निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/अधिकृत कुरियर द्वारा ही स्वीकार किया जावेगा।

30. निविदा निर्धारित तिथी को कार्यालय समय पर ही खोली जावेगी। इच्छुक निविदाकर्ता ,निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है। निविदाकर्ता की अनुपस्थिति में भी कय समिति के सदस्यों के सामने निर्धारित तिथी को निविदा खोल दी जावेगी।

31. निविदा 01 वर्ष तक के लिए ही मान्य होगी। निर्धारित 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् आगामी निविदा आमंत्रित करने तक के लिए मान्य इसी शर्त के साथ ही किया जा सकेगा, किं एल–1 फर्म इसी निविदा दर पर अभी भी प्रदाय करने के लिय अपनी सहमति व्यक्त करता है।

32. औषधि, प्रयोगशाला रसायन, उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री के लिये आदेश प्रसारित करने पर या भुगतान के पूर्व किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

33. निविदा प्रपत्र के साथ औषधि, प्रयोगशाला रसायन, उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री की सूची सी.डी. में भी दी जावेगी। जिसके अनुसार हार्ड कॉपी व सी.डी. (Format- M.S.Excel, Times New Roman Font) में दर अंकित कर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में दिया जाना आवश्यक होगा।

34. निविदा संबधी किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला जशपुर छ0ग0 का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

35. निर्माता कम्पनी/सप्लायर/अधिकृत विकेता का वार्षिक कय–विकय (टर्न–ओवर) 02 करोड़ रूपये का होना चाहिए। (विकय प्रमाण पत्र टर्न–ओवर विकय अधिकारी अथवा चार्टड एकाउटेंट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है)

संलग्नः– औषधि, प्रयोगशाला रसायन/उपकरण एवं भंडार कच्चा माल सामग्री की सूची एवं सी.डी.।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय जशपुर छ0ग0

Scanned with CamScanner